दिनांक 20-09-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21-09-2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

दिनांक 21-09-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम समलेटी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1001/0.10, 1002/0.24, 1003/2/0.24, 479/0.77, 487/0.48, 488/0.53, 490/1424/0.01, 987/0.10, 988/0.06 कुल किता 9 रकबा 2.53 हैक्टयर व खसरा नम्बर 985/0.62, 986/0.08 कुल किता 2 रकबा 0.70 हैक्टयर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका अभी तक कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। खातेदारान ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने अपने हिस्सा की आराजी को उपजाउ बना रखा है। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 20.06.2021 को विभाजन करवाने हेतु कहा तो इन्कार कर दिया तथा वादी के हिस्सा की

आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी। इसलिये वादी को विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन करने से इन्कार करने के कारण वादी को बिनाय दावा उत्पन्न हुआ है। वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त हे। खातेदार किशन प्यारी पत्नि प्रभू व सोन्या पुत्र गंगाधर की मृत्यु हो चुकी है तथा उनका कोई लीगल वारिस नहीं है तथा उनके तरके पर वादी व प्रतिवादीगण ही काबिज होने के कारण उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।

वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री फरमाते हुये तहसीलदार महवा से विभाजन स्कीम प्राप्त की जाकर अंतिम रूप से डिक्री करने की कृपा करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी 2071–74 की अप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत तथा मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने वादी के वकील की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी की अप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की है। जमाबंदी की अप्रमाणित प्रति होने के कारण साक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है तथा उसके आधार पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया जा सकता। छाया प्रति में अंकित किया गया है कि इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

के रूप में नहीं किया जा सकता। किन्तु वादी की ओर से अपनी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके अलावा जमाबंदी का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी द्वारा जमाबंदी के अनुसार वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये गये हैं जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

चूंकि वादी अपनी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है तथा आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये गये है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21–09–2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ा (दौसा)